तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस्त हुक्म की तामील में जारी हुए
	गोपीराम अग्रवाल बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 230/2020	
10.12.20	अपीलार्थी गोपीराम अग्रवाल, पता आर टी आई रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.09.20 में उसके द्वारा (1) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर खण्डपीठ सिविल रिट पीटिशन 1702/2020 आदेश दिनांक 03.03.2020 की पालना कराये जाने बाबत् प्रार्थी ने दिनांक 07.09.2020 को आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, उक्त पत्र पर आपके कार्यालय में हुई कार्यवाही की प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन [illegible] जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1077 दि[illegible].2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि [illegible] से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी श्री गोपीराम अग्रवाल को [illegible] कार्यालय के पत्र संख्या 887 दिनांक 09.10.2020 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2020 का कार्यालय की आवक पंजिका में निरीक्षण करने पर, वांछित आवेदन पत्र कार्यालय में दर्ज होना नहीं पाया गया है, जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना का प्रत्युत्तर भिजवाया जा चुका है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.29 14:55:11 IST
Reason: SelfAttested